तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./523/2005/नागौर अब्दुलल रहमान (मृतक जरिये वारिसान) बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री राजेश कुमार दडिया, सदस्य

उपस्थित–

श्री जी.एस.लखावत, अधिवक्तागण, प्रार्थीगण

श्री शिशिर कुमार विजयवर्गीय, उपराजकीय अधिवक्ता

–आदेश–

दिनांकः– 10–03–2026

प्रार्थीगण के पति एवं पिता अब्दुल रहमान ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या–121/2003 बउनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 04–01–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि से संबंधित जिला कलेक्टर के न्यायालय की पत्रावली तलब किये की मांग किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा वांछित पत्रावली की औचित्यता के प्रश्न के संबंध में किसी प्रकार का कोई विनिश्चयन किये बिना ही प्रार्थीगण के पति एवं पिता के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। जबकि अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वांछित पत्रावली की आावश्कता के संबंध में कथन किया गया था। प्रकरण में चूंकि उक्त वांछित पत्रावली न्याय निर्णयन में सहायक सिद्व होगी। अतः प्रार्थीगण की निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर प्रार्थना पत्र दिनांक 03–01–2005 में वर्णित पत्रावली को तलब किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। प्रतिउत्तर बहस में विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज किया गया है कि अधीनस्थ न्यायलय की मूल पत्रावली आ चुकी है ऐसी स्थिजि में जिला कलेक्टर की विभागीय पत्र व्यवहार की पत्रावली मंगवाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि से संबंधित मूल पत्रावली आ चुकी है। उपरोक्त तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए ही अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पति/पिता के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से प्रार्थीगण की निगरानी याचिका खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–04–2003 से व्यथित होकर प्रथम प्रार्थीगण के पति/पिता द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील प्रस्तुत होने के उपरान्त विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब होने के उपरान्त प्रार्थीगण के पति/पिता द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./523/2005/नागौर अब्दुलल रहमान (मृतक जरिये वारिसान) बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख
	दिनांक 03–01–2005 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए जिला कलेक्टर की पत्रावली क्रमांक प.12/61/राज./81/4476 दिनांक 08–09–81 मय पत्र क्रमांक रा.रा.वि/स.अ/जीएसएस/546 दिनांक 11–11–1987 मंगवाये जाने की मांग की गई। जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से खारिज किया गया है। प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से तलब किये वाली पत्रावली की वादग्रस्त भूमि एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से किसी प्रकार औचित्यता रही है, तथा उक्त पत्रावली न्याय निर्णयन में किस प्रकार से सहायक सिद्ध रहेगी, इस संबंध में प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का कोई वर्णन अंकित नहीं है। अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए ही प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। प्रकरण में चूंकि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र दिनांक 03–01–2005 के माध्यम से वांछित पत्रावली की औचित्यता के संबंध में किसी प्रकार का कोई समुचित एवं पर्याप्त कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण हस्तगत् निगरानी याचिका के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। परिणामतः प्रार्थीगण की निगरानी याचिका खारिज की जाती है व प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या–121/2003 बउनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 04–01–2005 की पुष्टि की जाती है। आदेश की सूचना जरिये कम्प्यूटर उभय पक्षों को दी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राजेश कुमार दडिया)** सदस्य	